न्यायालय तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री छीतरसिंह

किस्म मुकदमा – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मिसल संख्या	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
39 / 19	07 / 08 / 19	26 / 08 / 19

निर्णय

राजस्थान सरकार

बनाम

श्री किशोर,रामेश्वर पुत्र दुर्गी जाति मीना निवासी मिलकपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर

पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना में वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मिलकपुर ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि **श्री किशोर,रामेश्वर पुत्र दुर्गी जाति मीना निवासी मिलकपुर तहसील बयाना** ने ग्राम **मिलकपुर की चारागाह** भूमि आराजी खसरा नम्बर **1549 में कुल 0.11 हैक्टे में से रकबा 0.02** हैक्टेयर भूमि पर फसल खरीफ सम्वत 2076 में अनाधिकृत रूप से **पत्थर मिट्टी डालकर** अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि अतिक्रमण पश्चातवर्ती है इसलिए अतिचारी के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जावे।

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भूराजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 (3) के तहत दिनांक 20 / 08 / 19 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर, नोटिस की विधिवत तामील कराई गई। नियत तिथि को गैर सायल उपस्थित आया । उक्त अतिकमण के सम्बन्ध में गैर सायल द्वारा अपना जबाव पेश किया गया जिसमें अतिकमी द्वारा अपने अतिकमण के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य अथवा कारण प्रस्तुत नही किया गया। गैर सायल अतिकमण करने का आदी है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल ने फसल खरीफ सम्बत् 2076 में उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंधन किया है इसलिये गैर सायल को अतिकमी घोषित किया जाता है। गैर सायल को पूर्व में भी मौके से बेदखल किया गया था फिर भी गैर सायल ने पुनः अतिकमण कर लिया है इससे यह साबित होता है कि गैर सायल बार बार अतिकमण करने का आदी है। जो पश्चातवर्ती अतिचारी की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अतिकमित आराजी की किस्म सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता है जो सार्वजनिक उपयोग मे आता है। ऐसी स्थिति में गैर सायल किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नही रहता है। बल्कि ऐसे अतिचारी के विरूद्व प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो अन्य लोग भी राजकीय भूमि पर अतिकमण करेंगे और अतिकमण को बढावा व प्रोत्साहन मिलेगा। अतः फसल खरीफ में अतिचारी **श्री किशोर,रामेश्वर पुत्र दुर्गी जाति मीना निवासी मिलकपुर तहसील बयाना** को ग्राम **मिलकपुर** की **सिवायचक भूमि** खसरा नं **1549 में रकबा 0.02 हैक्टेयर** भूमि पर अतिकमण सिद्व होने से गैर सायल पर **लगान राशि 0.62** रूपये का पचास गुना **राशि 31** रूपये की शास्ति आरोपित की जाकर मौके से बेदखल कर अतिकमित भूमि पर अन्य सामग्री आदि को कुर्क कर नीलाम करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार बेदखली, सामग्री जब्ती, नीलामी एवं वसूली हेतु संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26 / 08 / 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना

इस पत्रावली की मांग सामग्री
क. के. सं. 04 के पेज नं ...3...
दिनांक 3.9.19 को वर्ष 19-20 में
रू. ...31... फसल ...
... को जा चुकी है।

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बयाना